प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2019 को आयोजित अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में दिनांक 25.01.2019 को अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/मुख्य अभियंता, बुडको/अधीक्षण अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के प्रतिनिधि/पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ एवं दानापुर तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित हुए।

2. <u>पथ निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे</u> :–

2.1 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग बताया गया कि पटना शहर के सभी पथों के किनारे फ्लैंक के निर्माण का प्रावधान किया गया है और निविदा में फ्लैंक निर्माण हेतु समयसीमा 01 वर्ष निर्धारित है। निर्देश दिया गया कि समयसीमा को 01 वर्ष से कम किया जाय।

2.2 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर के कई पथों के किनारे यथा सिंचाई भवन के निकट फुटपाथ से 3 फीट की उँचाई पर नाला का निर्माण किया हुआ है और इस तरह से कई पथों में फुटपाथ से लगभग 3 फीट की ऊँचाई पर नाला का निर्माण किया गया है, जबकि नाले की ऊँचाई किसी भी हालत में फुटपाथ से ऊपर नहीं होना चाहिए।

पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि इसे ध्यान में रखा जाय कि कहीं भी नाले की ऊँचाई फुटपाथ से ऊपर नहीं हो।

2.3 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर में फ्लाईओवरों के नीचे पाया में कई जगहों पर पोस्टर आदि चिपके रहते हैं, जिसके कारण शहर का सौंदर्यीकरण प्रभावित हो रहा है। इनके द्वारा कहा गया कि यदि फ्लाईओवरों के पाया में मधुबनी पेंटिंग करा दिया जाय तो शहर की सौंदर्यता बढ़ेगी और इस कार्य हेतु यदि पथ निर्माण विभाग को आपत्ति नहीं हो तो पटना नगर निगम द्वारा पेंटिंग करा दिया जाएगा।

इस पर पथ निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि यदि पटना नगर निगम चाहे तो वह फ्लाईओवरों के पाया में मधुबनी पेंटिंग करा दें। इस पर पथ निर्माण विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2.4 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा कहा गया कि पटना शहर के सभी फ्लाईओवरों के नीचे की जगह को पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय ताकि उत्कृष्ट तरीके से साफ–सफाई तथा पेंटिंग आदि कार्य कराया जा सके और शहर का सौंदर्यीकरण हो सके।

विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस हेतु विभाग स्तर से भी पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय।

इस संबंध में पथ निर्माण विभाग से अनुरोध है कि इस हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

2.5 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर के कई पथों में रोड कटिंग करके टेलीकॉम कंपनियों द्वारा केबल लगाया जा रहा है और अधिकांश जगहों पर पथों की खुदाई करके लंबी अवधि तक छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है।

इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देश दिया गया कि चूँकि टेलीकॉम कंपनियों को रोड कटिंग हेतु अनापत्ति पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया जाता है, अतः वे

अनापत्ति में इसे अंकित करेंगे कि टेलीकॉम कंपनी के संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व पटना नगर निगम से समन्वय करेंगे।

इस संबंध में विभागीय अभियंता को भी निर्देश दिया गया कि इस हेतु विभाग स्तर से पटना नगर निगम को यह दिशानिर्देश निर्गत किया जाय कि यदि पथ निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग के कार्य हेतु पटना नगर निगम से समन्वय नहीं किया जाता है तो पटना नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वे कार्य को रोक दें।

यह भी निर्देश दिया गया कि विभाग स्तर से पथ निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय कि पथों की खुदाई कार्य का एक निश्चित मानक लंबाई निर्धारित करें तथा उस लंबाई तक खुदाई कार्य का restoration हो जाने के बाद ही आगे खुदाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

2.6 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि BMP रोड में 300 मीटर तक, बाबा चौक नाला एवं आनंदपुरी नाला का cover करके पक्कीकरण का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा कुर्जी नाला के cover का कार्य BSRDC द्वारा किया जा रहा है।

निर्देश दिया गया कि नालों के cover के कार्य में नालों की सफाई के लिए पर्याप्त मेनहोल की व्यवस्था प्राक्कलन में किया जाय तथा पटना नगर निगम के अभियंता से समन्वय करके इसके डिजाईन का निर्माण किया जाय ताकि नालों की सुगमतापूर्वक सफाई की व्यवस्था हो सके।

विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग स्तर से प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर PPT बैठक आयोजित करने हेतु पत्र भेजें, जिसमें शहर के सभी नालों के पक्कीकरण cover के कार्य एवं उसकी सफाई के समुचित प्रावधान के संबंध में विमर्श किया जा सके।

3. <u>बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से संबंधित मुद्दे</u> :–

3.1 नगर आयुंक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि शहर में कई पथों, जिनमें फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जैसे–आर०ब्लॉक के निकट फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर निर्माण की अनुपयोगी मलबा काफी दिनों तक पथ किनारे जमा रहता है, जिसके कारण हमेशा धूल उड़ता रहता है और वायु प्रदूषित भी होता है। यह भी कहा गया कि यदि पुल निर्माण निगम द्वारा अनुपयोगी मलबा को ससमय हटा नहीं सकता है तो पटना नगर निगम इसे अपने संसाधन से हटा लेगा।

इस पर पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि एक सप्ताह के अंदर उक्त अनुपयोगी मलबे को संवेदक के माध्यम से हटा लिया जाएगा। यदि एक सप्ताह में मलबा नहीं हटता है तो पटना नगर निगम अपने स्तर से उसे हटा सकता है।

3.2 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मीठापुर बस स्टैण्ड रोड में फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें डायवर्जन में पक्का रोड का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय पूर्व से हो रहा है।

इस संबंध में पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 15 दिनों के अंदर डायवर्जन रोड का पक्कीकरण कार्य कर लिया जाएगा। इन्हें निर्देश दिया गया कि फ्लाईओवरों के निर्माण के प्राक्कलन में डायवर्जन का पूर्व से ही पक्का निर्माण का प्रावधान कर लिया जाय ताकि आवागमन भी सुगमतापूर्वक होती रहे।

4. <u>पटना नगर निगम से संबंधित मुद्दे</u> :–

4.1 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर पर रोड कटिंग के कार्य हेतु पॉलिसी निर्धारण के लिए एक कमिटी गठित करें, जिसमें पथ निर्माण विभाग के

अभियंता, बुडको के अभियंता, GAIL के प्रतिनिधि एवं Optical Fiber कंपनी के प्रतिनिधि को रखा जाय। इस कमिटी द्वारा एक सप्ताह में पॉलिसी निर्धारित करके अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

4.2 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पाटलिपुत्रा क्षेत्र के ड्रेनेज का मास्टर प्लान तैयार कर विभाग को 15 दिनों के अंदर प्राक्कलन उपलब्ध करायी जाय ताकि विभाग स्तर से अग्रेत्तर स्वीकृति की कार्रवाई की जा सके।

4.3 पिछली बैठक में कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि चाँदमारी रोड के पश्चिम की ओर डूडा–1 द्वारा निर्मित नाले की गहराई कम होने के कारण रोड के पूरब के तरफ पूर्व से निर्मित पटना नगर निगम के नाले में पानी की कनेक्टिविटी नहीं हो रही है और नाले का पानी ओवरफ्लो करता है, जिसके कारण क्षेत्र में जलजमाव रहता है।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि बुडको के अभियंता एवं पटना नगर निगम के अभियंता से संयुक्त स्थल निरीक्षण कराकर समस्या का निराकरण कराएंगे और अगली बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत कराएंगे।

5. ऊर्जा विभाग से संबंधित मुद्दे :–

5.1 SBPDCL के प्रतिनिधि से यह पृच्छा की गयी कि पटना शहर में 5 कोर केबल एरियल बंच लगाया जाना था, जिसमें 01 कोर केबल स्ट्रीट लाईट के लिए निर्धारित किया गया था, इसका प्रावधान वर्तमान में किया जा रहा है अथवा नही। इस संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान योजना में एरियल बंच में 01 कोर केबल स्ट्रीट लाईट के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

इन्हें निर्देश दिया गया कि जिन–जिन पथों में 05 कोर केबल लगा दिया गया है और आगे के Plan की विवरणी पटना नगर निगम को 02 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाय।

5.2 SBPDCL के प्रतिनिधि से यह पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में स्ट्रीट लाईट का टैरिफ Domestic Tarif से अधिक है।

चूँकि स्ट्रीट लाईट का उपयोग नागरिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, अतः इसका टैरिफ Domestic Tarif से कम होना चाहिए। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऊर्जा विभाग, SBPDCL, NBPDCL को पत्र भेजा जाय।

6. बुडको से संबंधित मुद्दे :–

6.1 नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना जलापूर्ति योजना के 13 योजनाओं प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु बुडको को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति बुडको से अभी तक नहीं हो पायी है।

मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से तकनीकी स्वीकृति देकर प्राक्कलन बुडको को उपलब्ध करा दिया जाय।

6.2 मुख्य अभियंता, बुडको से ISBT निर्माण के प्रगति की अद्यतन स्थिति के संबंध में पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी और अनभिज्ञता व्यक्त की गयी। उन्हें निर्देश दिया गया कि बुडको द्वारा कार्यान्वित विभागीय योजनाओं यथा ISBT, बेउर से मीठापुर ड्रेनेज योजना, नालों के उपर पक्कीकरण कार्य, पटना जलापूर्ति योजना के 5 योजनाओं के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय और इसका नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाय।

6.3 आशियाना–दीघा रोड के नाला निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि नाला का निर्माण cover के साथ कराया जा रहा था, जिसमें रोड के end तक जमीन की मापी कराकर नाला का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

6.4 बाँसघाट विद्युत शवदाहगृह की मरम्मति के संबंध में अधीक्षण अभियंता, बुडको द्वारा बताया गया कि अभी आँशिक मरम्मति हो पायी है और दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक पूर्णरूपेण मरम्मति कराकर शवदाहगृह को अनिवार्य रूप से चालू करा दिया जाएगा।

6.5 परियोजना निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि गुलबी घाट विद्युत शवदाहगृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

निर्देश दिया गया कि इसका माननीय मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री के कर कमलों से उद्घाटन कराने हेतु समन्वय किया जाय और शवदाहगृह को चालू कराकर पटना नगर निगम को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाय।

7. <u>बिहार राज्य आवास बोर्ड से संबंधित मुद्दे</u> :–

7.1 सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया कि आवास बोर्ड की कॉलोनियों में बोर्ड द्वारा निर्मित नाले को सफाई हेतु पटना नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय।

7.2 सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश दिया गया कि बोर्ड के commercial plots का e-auction शीघ्र कराया जाय और e-auction का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

मुख्य अभियंता, बुडको को निर्देश दिया गया कि 2 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से तकनीकी स्वीकृति देकर प्राक्कलन बुडको को उपलब्ध करा दिया जाय।

8. <u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित मुद्दे</u>:–

8.1 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभिन्न नगर निकायों के लिए 106 जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर पर हुए निर्णय के आलोक में प्राक्कलन के अनुसार सभी योजनाएं पूर्ण करके, संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करके, चालू स्थिति में नगर निकाय को हस्तांतरित किया जाना है, लेकिन कई नगर निकायों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उन्हें अभी तक जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नहीं हो पाया है और कई में अकार्यरत स्थिति में ही हस्तांतरण कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया कि योजना का हस्तांतरण केवल कार्यरत स्थिति में होगा। अपूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण नहीं होगा। नगर निकाय एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर ही हस्तांतरण होगा।

9. दानापुर जलापूर्ति योजना का आंशिक कार्य बुडको द्वारा किया गया है तथा वर्तमान में दानापुर के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि दानापुर जलापूर्ति योजना की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर विभाग स्तर से बैठक आयोजित करायी जाय।

10. फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय के निकट पार्क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं। उक्त स्थल पर पार्क निर्माण हेतु प्राक्कलन पार्क डिवीजन, पटना द्वारा तैयार किया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, फुलवारी शरीफ को निर्देश दिया गया कि वे प्राक्कलन शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु पार्क डिवीजन के साथ समन्वय करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/1/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 691 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/01/19

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 691 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/01/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक निदेशक, ब्रेडा (ई०मेल–breda@breda.in)/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी०, पटना/NHAI, Patna (email-ropatna@nhai.org)/कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल/बाँकीपुर अंचल/कंकड़बाग अंचल/पटना सिटी अंचल, पटना नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर एवं फुलवारी शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 691 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 29/01/19

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक/उप सचिव/अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी–2/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/1/2019

प्रधान सचिव